

## अवैध प्लाटिंग पर निगम की सख्त कार्रवाई, बाउण्ड्रीवाल ध्वस्त

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर को कब्जा मुक्त एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्रांतर्गत अवैध प्लाटिंग पर निगम की टीम ने सख्त कदम उठाया। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन एवं शहर के सम्मानित नागरिकों से प्राप्त सूचना के आधार पर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन-2 के राजस्व विभाग एवं बेदखली की संयुक्त टीम ने वार्ड क्रमांक 20 वैशाली नगर के बाबादीप सिंह नगर क्षेत्र में कार्रवाई की। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा रिक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। साथ ही मुरूम डालकर प्लॉट काटे गए थे और उन्हें नागरिकों को बेचा जा रहा था। निगम की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी के माध्यम से अवैध रूप से निर्मित बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त किया तथा मौके से संबंधित सामग्री को जप्त किया गया। निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी भूमि की खरीद-फरोख्त न करें तथा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी निगम को अवश्य दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

